वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

2025
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

No. 5-1(14)/2008-पीडी पार्ट (1) Dated 30.12.2025

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में : सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

विषय: पदों के पुनः प्रवर्तन (Revival) के प्रस्तावों को सीएसआईआर- मुख्यालय को भेजने के संबंध में

महोदय/महोदया,

केंद्र सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों में पदों का सृजन, पुनःप्रवर्तन, निरंतरता, परिवर्तन, स्थानांतरण, उन्नयन, अवनयन और समाप्ति के लिए अनुदेशों का सार-संग्रह के संबंध में व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(1)/E.Coord-I/2017(Part.III) दिनांक 04.01.2024 जिसे दिनांक 25.01.2024 को CSIR पत्र संख्या 5-1(14)/2008-PD के माध्यम से जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन हेतु अग्रेषित किया गया है पर सादर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5.1 के अनुसार, " *a post lying vacant for more than 5 years from the date of creation or date of falling vacant, shall stand abolished.*" इसके अतिरिक्त, कोई पद जो समाप्त (abolish) हो गया है को व्यय विभाग की पूर्व स्वीकृति से उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5.2 में निर्दिष्ट मामलों में पुनर्जीवित किया जा सकता है जोकि निम्नानुसार है:

(i) the recruitment process has been initiated within 4 years of the creation/arising of vacancy and is underway but appointment orders have not been issued within the period of 5 years, or

(ii) there are specific Court directions requiring the filling of a post, or

(iii) filling of posts was delayed due to Court orders on finalization of seniority lists/filling of the posts etc., or

(iv) promotion posts under reservation quota could not be filled due to non-availability of eligible candidates in the feeder grade, or

(v) posts are essential for functioning of the institute and for which matching savings can be provided by the organization by surrendering live posts without compromising the hierarchy of the Cadre or affecting the promotional channels of the feeder grades in the same hierarchy.

31/12/25

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788 Website : http://www.csir.res.in

3. इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि विभिन्न प्रयोगशालाओं/ संस्थानों से पदों के पुनः प्रवर्तन के लिए प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की गई और यह देखा गया कि प्रयोगशालाएँ/संस्थानों द्वारा प्रस्तुत पदों के पुनः प्रवर्तन के प्रस्ताव व्यय विभाग के उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 04.01.2024 के पैरा 5.2 के अनुरूप नहीं हैं और ऐसे पदों के पुनः प्रवर्तन के प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं जो पैरा 5.2 में निर्दिष्ट किसी भी मामले के अंतर्गत नहीं आते हैं। यहाँ यह भी उल्लेख किया जाता है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5.5 के अनुसार, once a post is deemed to be abolished (unless covered under para 5.2) it shall not be filled, except by creating it *de novo* by following the procedure under para 3.

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, मुझे आपसे अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि पदों के पुनः प्रवर्तन के लिए कोई भी प्रस्ताव, जो व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 04.01.2024 के पैरा 5.2 के अंतर्गत निर्दिष्ट मामलों में शामिल नहीं है, सीएसआईआर-मुख्यालय को अग्रेषित नहीं किया जाना चाहिए और पदों के पुनः प्रवर्तन के सभी प्रस्तावों में अनिवार्य रूप से उस मामले का उल्लेख होना चाहिए, जिसके अंतर्गत पुनः प्रवर्तन के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

5. इसके अतिरिक्त, वे मामले जो पैरा 5(v) के अंतर्गत हैं, के लिए प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा कैडर के पदानुक्रम को प्रभावित किए बिना या उसी पदानुक्रम में फ़ीडर ग्रेड्स के पदोन्नति चैनलों को प्रभावित किए बिना लाइव (live) पद समर्पित (surrender) करके मैचिंग सेविंग (matching saving) प्रदान करना अनिवार्य है और इसका विवरण अनुपूरक (Annexure)- II के क्रम संख्या 14 में उल्लिखित किया जाए।

6. यह भी अनुरोध किया जाता है कि सीएसआईआर पत्र दिनांक 23.10.2024 (संलग्न) में पुनः प्रवर्तन के प्रस्तावों को भेजने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए।

भवदीय

31/12/25

(अमरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव (पीडी)

संलग्न : यथोपरि

प्रतिलिपि

1. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों और मुख्यालय के वरिष्ठ उप सचिव/वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/उप सचिव/प्रशासन नियंत्रक/अवर सचिव/प्रशासनिक अधिकारी
2. सीएसआईआर वेबसाइट
3. कार्यालय प्रति

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

No. 5-1(11)/2008-पी.डी.

Dated 23.10.2024

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान

विषय : सीएसआईआर मुख्यालय को पदों के सृजन/ पुनरुज्जीरवन के प्रस्ताव अग्रेषित करने के संबंध में।

महोदय/ महोदया,

आपका ध्यान केंद्र सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों में पदों का सृजन, पुनरुज्जीरवन, निरंतरता, परिवर्तन, स्थानांतरण, उन्नयन, अवनयन और समाप्ति के लिए अनुदेशों का सार-संग्रह के विषय पर सीएसआईआर के दिनांक 25.01.2024 के पत्र स. 5-1(14)/2008-PD द्वारा जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित किए गए व्यय विभाग के दिनांक 04.01.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(1)/ई.कोर्ड-I/2017(भाग.III) की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. व्यय विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 04.01.2024 के पैरा 3.5 में प्रावधान है कि पद सृजन के प्रस्ताव, व्यय विभाग द्वारा जारी निर्धारित चेकलिस्ट (व्यय विभाग के दिनांक 04.01.2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुलग्नक-I) के साथ फाइल पर प्रस्तुत किए जाएं।

3. इसके अलावा व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5.3 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पदों के पुनरुज्जीरवन का प्रस्ताव, जिन परिस्थितियों के कारण उन पदों पर भर्ती नहीं की जा सकी, को दर्शाते हुए तथा घटनाओं का विस्तृत कालक्रम और पुनरुज्जीरवन हेतु कार्यात्मक औचित्य, निर्धारित चेकलिस्ट (व्यय विभाग के दिनांक 04.01.2024 के कार्यालय ज्ञापन के अनुलग्नक-II) के अनुसार प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

4. हाल ही में, इस कार्यालय को पदों के सृजन/ पुनरुद्धार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, हालाँकि, प्रस्तावों के साथ व्यय विभाग के दिनांक 04.01.2024 की चेकलिस्ट अनुलग्नक-I/अनुलग्नक-II को अग्रेषित नहीं किए गए हैं।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि सभी प्रस्तावों को निम्नानुसार अग्रेषित किया जाए:

क. पद सृजन के प्रस्ताव व्यय विभाग के दिनांक 04.01.2024 के कार्यालय ज्ञापन अनुलग्नक-I में निर्धारित चेकलिस्ट, जो स्थानीय वित्त द्वारा विधिवत पुनरीक्षित व वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/ प्रशासन नियंत्रक/ प्रशासनिक अधिकारी और प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक के हस्ताक्षर के साथ उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3.5 के अनुसार होने चाहिए।

ख. पद पुनरुज्जीरवन के प्रस्ताव जिन परिस्थितियों के कारण पद पर भर्ती नहीं की हो सकी को दर्शाते हुए घटनाओं का विस्तृत कालक्रम और पुनरुज्जीरवन हेतु कार्यात्मक औचित्य, व्यय विभाग द्वारा 04.01.2024 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार, स्थानीय वित्त द्वारा विधिवत पुनरीक्षित व वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/

प्रशासन नियंत्रक/ प्रशासनिक अधिकारी और प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक के हस्ताक्षर के साथ उक्त कार्यालय के पैरा 5.3 के अनुसार होना चाहिए ।

6. सीएसआईआर-मुख्यालय को पहले से ही अग्रेषित पद सृजन/ पुनरुज्जीरवन के किसी भी प्रस्ताव की उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार प्रयोगशालाओं/ संस्थानों द्वारा पुनः जांच की जाए और अनुरोध है कि तदनुसार प्रस्तावों को अग्रेषित किया जाए।

भवदीय,

23/x/2024

(एम अरुण मणिकण्ड भारति)
अवर सचिव (नीति प्रभाग)

प्रतिलिपि:

1. सी.एस.आई.आर. - प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/ प्रशासन नियंत्रक/ प्रशासनिक अधिकारी
2. कार्यालय प्रति